

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो हुक्म जारी
07.06. 2018	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प ताणु मानजी में पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बाद सुचना अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादीत भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हरसाणी, पटवार मण्डल हरसाणी, तहसील गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 2847/32 रकबा 72.13 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखबन्दी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक हरसाणी को 1000 /-रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर एस.एच. ओ. गडरारोड़ से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक हरसाणी बाद पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार एवं नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज बमुकाम कैम्प ताणु मानजी में मजमे आम सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
शिव